संख्या- 358 /2024 / 2978 /चार-2024-1856898

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 14 अक्टूबर, 2024

विषय:- जनपद देवरिया में शहीद रामचन्द्र विद्यार्थी विकास स्मारक स्थल में शिवराज उर्फ सोना सुनार की 06 फिट की आदमकद (खड़ी) ब्रांज प्रतिमा स्थापित किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या- 1734/सं0नि0-25(2)/2023-24 टी0सी0 दिनांक 26 सितम्बर, 2024 एवं निदेशक, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ के पत्र संख्या- 780/चतुर्थ-578 / 2024-25 दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-3075/ चार-2023, दिनांक 18.07.2023 द्वारा शहीद शिवराज उर्फ सोना सुनार की 03 फिट आवक्ष कांस्य प्रतिमा निर्माण हेतु अनुमानित धनराशि रू0 1,83,131.00 पर अनुमोदन प्रदान किया गया था।

2. संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या-377/2023/7517/चार-2023 दिनांक 19.12.2023 तथा शासनादेश संख्या- 41/2024/7518/चार-2023 दिनाक 18.01.2024 द्वारा महापुरूषों की मूर्ति का निर्माण मद में स्वीकृत रू0 4,18,33,000/- के अन्तर्गत संस्कृति निदेशालय द्वारा मूर्ति निर्माण समिति की दिनांक 27.10.2023 को बैठक में शहीद शिवराज उर्फ सोना सुनार की 03 फिट आवक्ष कांस्य प्रतिमा निर्माण हेतु रू0 2,50,000/- जी0एस0टी0 सहित संस्तुति की गयी।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देवरिया में रामचन्द्र विद्यार्थी शहीद स्मारक स्थल पर शहीद शिवराज उर्फ सोना सुनार जी की 03 फिट ब्रांज मूर्ति के स्थान पर 06 फिट की आदमकद (खड़ी) ब्रांज प्रतिमा के निर्माण पर होने वाले व्यय रू0 6.60 लाख में से पूर्व में निर्गत रू0 2.50 लाख समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 4.10 लाख (रू0 चार लाख दस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) मूर्ति निर्माण विषयक संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या- 138/चार-2001-6(20)/90 टी0सी0 दिनांक 24.12.2001 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा मूर्ति निर्माण के संबंध में कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

(3) मूर्ति निर्माण के संबंध में संस्कृति विभाग द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 16.06.2021 द्वारा गठित मूर्ति निर्माण समिति के अनुमोदनोपरान्त ही कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) निदेशक, संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ का होगा।

(6) मूर्ति का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(12) यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कार्यों की मानीटरिंग भी की जायेगी। उपयोग की गयी धनराशि का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - 04- कला तथा संस्कृति- 106- संग्रहालय- 09- महापुरूषों की मूर्तियों का निर्माण- 24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, देवरिया।
3- निदेशक, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in